भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **215**
दिनांक **18** नवम्बर**,** 2019

म ी के तेल और रसोई गैस हेतु राजसहायता

215. श्री बी॰ एन॰ बचेगौडाः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान म ी के तेल और रसोई गैस हेतु व्यय की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है**;** और

(ख) कतने राज्यों में म ी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटीके) या रसोई गैस राजसहायता प्रदान की गई है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): पछले तीन वर्षों में पीडीएस म ी तेल और घरेलू एलपीजी पर सरकार द्वारा भुगतान की गई राजसहायता का ब्यौरा निम्न ल खत है:

(करोड़ रुपए में)

भुगतान की गई राजसहायता का ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19
पीडीएस म ी तेल	8,781	8,696	4,296
घरेलू एलपीजी	13,000	13,122	16,570

(ख): संपूर्ण झारखंड राज्य में म ी तेल के लए लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटीके) योजना का कार्यान्वयन दिनाँक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी है। रसोई गैस के लए, पूरे देश में पहल (डीबीटीएल) योजना, 2014 को दिनाँक 1 जनवरी, 2015 से लागू कया गया है जिसके माध्यम से घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली राजसहायता पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जा रही है।

****